झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 06.09.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के पत्रांक- फा0सं0-61-1 /आर0आई0एफ0डी0/7वीं सी0बी0सी0/2016-17, दिनांक- 01.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (पार्ट-iii खण्ड-4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम-2019 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक- 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएँ की अनुशंसा की गई है। परन्तु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षक संवर्ग को सप्तम् (7th Pay) वेतनमान् के लाभ से वंचित रखा गया है। इतना ही नहीं पोलिटेकनिक के शिक्षक संवर्ग को CAS के तहत् केरियर संवर्द्धन (वित्तीय उन्नयन) का लाभ भी मई, 2017 से ही लंबित है। फलतः उक्त शिक्षक संवर्गों को अनावश्यक रूप से वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उक्त तकनीकी	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		शिक्षण संस्थाओं (पोलिटेक्निक) के शिक्षक संवर्ग को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों रहित) दिनांक- 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन है, राज्य में कई जाति के लोग इस लाभ से वंचित हैं। आग्रह करता हूँ कि सरकार सर्वे कराकर उन्हें सूचीबद्ध करें साथ ही राज्य एवं जिलास्तर की सरकारी सेवाओं में पिछड़ों के आरक्षण की सीमा को कम से कम 27% किया जाय ताकि सरकारी सेवाओं में उसकी भी भागीदारी हो सके और विकास के मुख्यधारा से जुट सके। उपरोक्त अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
03-	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0 श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना सं0-061-2018-1751/लेज, दिनांक- 27.10.2018 द्वारा झारखण्ड में उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खरिया, कुड़ुख, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच-परगनियाँ तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इनमें से मैथिली, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भी 2003 से सम्मिलित है तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल है, साथ ही अनुच्छेद-345 के आलोक में वर्णित समस्त भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। परन्तु झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अभी तक मैथिली, मगही, भोजपुरी,	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		अंगिका एवं भूमिज को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः इस विषय के निराकरण हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। झारखण्ड सरकार द्वारा पारित नई नियुक्ति नियमावली भार के संविधान के अनुच्छेद-14 एवं 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग से आते है एवं स्थानीय होने के बावजूद झारखण्ड राज्य से बाहर मैट्रिक व इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करते है, उन्हें तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए स्थानीयता का लाभ प्राप्त नहीं हो पायेगा जो कि नियम संगत नहीं है। साथ ही बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम- 2018 में नागही, भोजपुरी, मैथिली व अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था लेकिन, नयी नियमावली में चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातिय भाषाओं में अंगिका व भोजपुरी को सम्मलित नहीं किया गया। विदित हो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में राज्यस्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के नौकरीयों में30 फिसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है, जिससे गोड्डा, दुमका, देवघर, पलामू, गढ़वा एवं साहेबगंज जैसे जिलों के अभ्यर्थी मेधा सूची में वरीयता का लाभ लेने से वंचित हो जायेंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि नयी नियोजन नियमावली में अंगिका व भोजपुरी को सम्मलित करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 एवं 16 के अनुरूप नियमावली को संशोधित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। .झारखण्ड सरकार ने पूर्व की भावनाओं का परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिन्दी के विकल्प को समाप्त	

01.	02.	03.	04.
		कर दिया है जिसमें पलामू/गढ़वा के शिक्षित बेरोजगार छात्र/छात्राओं मैट्रिक इंटर वे लोग चतुर्थवर्गीय एवं तृतीय पदों पर नियुक्ति (नियोजन) से वंचित हो जायेंगे क्योंकि सरकार ने जिनकी भावनाओं का जिक्र किया है:- (1)- नागपुरी/खोरठा/पंचपरगनिया एवं कुरमाली तथा जनजातियों की पाँच भाषा संथाली/हो०/मुण्डारी/खड़िया एवं कुडुख इन भाषाओं से पलामू/गढ़वा के लोग अनभिज्ञ हैं, इन क्षेत्रों में मगही/अंगिका एवं भोजपुरी का मिश्रित भाषा है, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। राज्य कर्मचारी आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाषा के आधार पर यहाँ के लोग नियोजन से वंचित रह जायेंगे। हिन्दी और संस्कृति को बाहर रखने और क्षेत्रीय भाषाओं में मगही/अंगिका एवं भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं करने और उर्दू को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखने के कारण खुलम-खुल्ला संविधान के अनुच्छेद-16 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः सरकार किसी के साथ सौतला व्यवहार न कर पलामू/गढ़वा के बोलचाल की भाषा मगही/अंगिका एवं भोजपुरी जैसे भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने हेतु नियमों में संशोधन करने हेतु इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार की ओर ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	
04-	श्री विनोद कुमार सिंह स०वि०स०	गिरिडीह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है। LWE जिलों में 250 की आबादी तक सभी ग्राम/बसावट को सड़क से जोड़ना था। लेकिन, 2015-19 में गिरिडीह से सूची ही नहीं भेजी गयी ताकि PMGSY के तहत् कार्य हो। फलतः आजादी के 75 वर्ष बाद भी बिरनी प्रखंड में कोलकियारी, रूपीडीह, नावाडीह, कोडराटांड, खंगराडीह, पुरनी खरखरी, हरिहरपुर, असनोसिंधा, रतनपुरा एवं सरिया प्रखंड में ढबिया अलरानी, कोनिया, परसबनी,	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		काला पत्थर, सर्वोदय आश्रम, पोखरियाडीह, श्रीरामडीह, बरकट्ठी, कोडाडीह, हरैयाटांड, (चिचाकी) तुलसियाटांड, छाकासारो, सिमराबेड़ा, पंदनाटांड, भोलपहरी, बिराजी और बगोदर प्रखंड में अखैना, बिन्द, गम्हरियाटांड, कोल्हरिया, मेसौंधा, गैड़ाही, छोलाबार, पहाड़पुर, कोल्हरिया (नावाडीह) केंझिया, खैरागढ़ा, पीराटांड, घाघरा (भुइयांटोला) इत्यादि गाँव सड़क से वंचित है। बारिश में सम्पर्क कट जाता है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त गाँवों को जोड़ने हेतु 100 KM सड़क की विशेष स्वीकृति दी जाय।	
05-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0	देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना शुरूआत से ही करायी जाती रही है, परन्तु वर्तमान में अन्य जातियों की जनगणना नहीं होने के कारण जरूरतमंदों, पिछड़ो को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलने में काफी दिक्कतें होती है। जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े आरक्षण की सीमाएं तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जातिगत जनगणना के अभाव में सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ सही स्थान तक पहुँच पा रही है या नहीं इसकी सटीक जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंदो और पिछड़ों को संख्या के अनुरूप विकास कार्यक्रम बनाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की जाति की वास्तविक संख्या के अनुरूप विकास कार्यक्रम बन सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए जातीय आधारित जनगणना कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 06 सितम्बर, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ0पृ030-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-34/2021-2042 /वि0 स0, राँची, दिनांक- 04/09/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-34/2021-2042 /वि0 स0, राँची, दिनांक- 04/09/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

4/9/21
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

04/09/21